निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 635) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

18 मई 2015

सं0 22/नि0सि0(भाग0)–09–07/2010/1173––श्री सबीर अहमद, आई0 डी0 क्रमांक–3879, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल संख्या–2, जमुई के विरूद्ध विभागीय उड़नदस्ता के पत्रांक 11 दिनांक 22.02.2010 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त रूपांकण प्रमंडल संख्या–1, भागलपुर के प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान इनके द्वारा रूपांकण प्रमंडल संख्या–1, भागलपुर के अधीन वर्ष 2009 के बाढ़ अवधि में दिनांक 01.07.2009 से 15.09.2009 तक कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य विभागीय प्रक्रिया के विपरीत विभाग में अनिबंधित संवेदक से कराये जाने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक 878 दिनांक 07.08.2012 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–19 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री देवेन्द्र कुमार, सचिव (प्रावैधिक), मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, भागलपुर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1447 दिनांक 26.05.2014 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में यह पाये जाने पर कि जॉच प्रतिवेदन के साथ विभागीय कार्यवाही के संचालन से संबंधित अभिलेख संलग्न नहीं है, विभागीय पत्रांक 1131 दिनांक 20.08.2014 द्वारा जॉच प्रतिवेदन मूल में वापस करते हुए संचालन पदाधिकारी से वांछित अभिलेख की मॉग की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 68 दिनांक 10.01.2015 द्वारा समर्पित वांछित अभिलेख के उपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त निम्नांकित तथ्य पाये गयेः–

जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष के रूप में ''अभिलेख एवं प्रस्तुत बचाव के समीक्षोपरान्त कोई दोष प्रतीत नहीं होता है'' प्रतिवेदित किया गया है। आरोप का बिन्दु मात्र विभाग में अनिबंधित संवेदक से कार्य कराने का है। आरोपित ने भी प्रतिवेदित किया है कि विभाग में निबंधित संवेदक कार्य के लिए उपलब्ध नहीं थे अतएव पथ निर्माण विभाग में निबंधित संवेदक से कार्य कराया गया है जिसका निबंधन विभाग में इसके बाद करा लिया गया।

बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की आकस्मिकता को देखते हुए कार्य कराया गया था तथा उड़नदस्ता के निष्कर्ष में भी कार्य उपयोगी एवं प्रभावी होना प्रतिवेदित है।

4. उपर्युक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं मंतव्य से सहमत होते हुए सरकार के स्तर पर श्री सबीर अहमद, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल संख्या–2, जमुई को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सबीर अहमद, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल संख्या–2, जमुई को आरोप मुक्त किया जाता है एवं उक्त निर्णय संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 635-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in